□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स□□स्थ□ □□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□
□□□□□□□□□ प्रश□ □ख्□□: 3976
19 □□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को मुआवजा

3976. श्री □□□□□□□□□ □□□□:

क्या स्वास्थ्य और परिवार □ल□□□ □त्री □□ □□□□□□□ □□□ करगे कि:

(□) क्□□ □□□□□-19 को सभी वैक्सीन, □□ □□□□ □□□□ □श्चि□ रू□ □□□□□□□□ □□□□क्ष□ □स्□□ □□ □, अपने दुष्प्रभावों को □□□ □□□□□ प्र□□□ □□□ □□□□ □;

(□) □□□ □□,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या □□□□ □;

(□) क्या कुछ स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लगवाने के इच्छुक नहीं □;

(□) □□□ □□,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या □□□□ □;

(□) क्□□ सरकार ने स्वीकृत वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे म जनता को सूचित किया है और यदि हां, □□ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है □□□ □□□ □□□, □□ □□□□क□□ □□□□ □; □□

(च) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए ह अथवा उठाए जा रहे ह कि वैक्सीन लगने के बाद जिन लोगों म दुष्प्रभाव दिखाई □, □न्□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□) □□(□): □□□□□-19 वैक्सीन सहित किसी नई औषधि के विनिमाण और विपणन हेतु अनुमोदन नई औषधि एवं क्लीनिकल प्रयोग नियमावली, 2019, जिसम किसी औषधि अथवा वैक्सीन के अनुकूल जोखिम □□□ □□□□□ प्र□□□□□ □□□□ □□□ □,□□प्र□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□त्र□ (□□□□□□□) सहित पयाप्त आंकड़े, गैर-क्लीनिकल (पशु अध्ययन), क्लीनिकल प्रयोग संबंधी आंकड़ों के प्रस्तुत करने पर □□□□□ □□□□ □□क्□□निकल प्रयोग से प्राप्त आंकड़े □□□क्ष□ □□ □□-अपेक्षित प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बारे □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ प्र□□□□□ □□□□ख्□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□

आंकड़ा सुरक्षा निगरानी बोड (डीएसएमबी) द्वारा सुरक्षा की निगरानी करना क्लीनिकल प्रयोगों के दौरान किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, यदि □□□ □□, □ि □□□□ □□□□□□□□ □□□ क□□□□□□ प्र□□□ □□ □□ महत्वपूण घटक है।

(□) □□(□): □□□□□-19 □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □ □□□-विन पोटल म जारी संचरण संबंधी तकनीकी मुद्दों, वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट आदि के चलते टीकाकरण सत्रों म नियोजित लाभार्थियों से □□ □ख□□ म लाभार्थी उपस्थित हुए जिसे प्रगामी तौर पर □□□ □□□ □□□ □□□□ □त्थ□□ □□□□□□□ □□□□ □ि □□ म वृद्धि हुई है। 17 माच, 2021 तक स्वास्थ्य परिचया कार्मिकों को कोविड-19 □क□□□ □ि 1.20 □□□□ □□ □□□□ □□□: □□□□ □□ □□

(□): □□□□□-19 □क□□□ि □□□□□□□ □□□रू□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □विरूद्ध □□□ □□□□ओं □□ □□□स □□□□□□□□ □□□□□-19 वैक्सीन संप्रेषण कायनीति तैयार की गई है। इस कायनीति का उद्देश्य वैक्सीनों और टीकाकरण प्रक्रियाओं के बारे म तथ्यपरक सूचना शीघ्र संवितरित करना है। यह स्वास्थ□ □□ परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से मल्टीमिडिया मंचों (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया) □□□□ध□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □हुं□ □□□□□□□□□ □□□□□न्न □□□□□□□ि, □□□□□□□□ □□□ओं □□ प्रभावी व्यक्तियों को □□□□□□□□ □□□ि□□ ि□□□ □□ □□□ □□

(□): टीके के चलते होने वाले किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव अथवा चिकित्सीय जटिलताओं के विरूद्ध □□□□□-19 वैक्सीन के प्रासकताओं के लिए किसी क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। कोविड-19 टीकाकरण पूण रूप से लाभार्थी की स्वेच्छा पर आधारित है।

हालांकि, प्रत्येक टीकाकरण कायस्थल पर एनाफिलेक्सिस किटों की उपलब्धता, टीकाकरण उपरांत प्रतिकूल प्रभाव (एईएफआई) के चलते तत्काल किसी प्रबंधन कद्र म रैफर करना और किसी प्रतिकूल प्रभाव के लिए सत्र स्थान पर 30 मिनट के लिए वैक्सीन प्रासकता का अवलोकन करना जैसे उपाएं किए गए ह □ि□ □□□ □□ □□□□□त□□ □□□□ ि□□ □□ □□। इसके अलावा ऐसे मामलों के एईएफआई प्रबंधन जन स्वास्थ्य सुविधाओं म लागत मुक्त उपचार के तौर पर दिए जा रहे ह।

******